



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032025-261591
CG-DL-E-13032025-261591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1136]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2025/फाल्गुन 21, 1946

No. 1136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025/PHALGUNA 21, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2025

का.आ. 1149(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 74 तारीख 03/01/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 418.8 से कि.मी. 547 (सोलापूर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01/02/2025 " को "लोकमत" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 418.8 से कि.मी. 547 (सोलापूर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: मैदगी (ग्रामीण)					
1	353	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.49	काशीबाई नागारेड्डी डेरीबेरी, इंदूबाई काशीनाथ जकापुरे, नागारेड्डी रामन्ना डेरीबेरी, अपक डेरीबेरी नगरेडी रामान्ना खजप्पा नागारेड्डी डेरीबेरी, अपक नागारेड्डी रामान्ना डेरीबेरी यल्लालिंग नागारेड्डी डेरीबेरी 353
गांव का नाम: नागोरे					
2	15	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.73	निळू मोतीराम राठोड, सुशीला पांडुरंग चव्हाण, श्रीकांत पांडुरंग चव्हाण, वंदना विलास राठोड, सचिन पांडुरंग चव्हाण, धमाबाई गणपती चव्हाण ए.पी.ए.के. सुनील

					गणपती चव्हाण, अनिल गणपती चव्हाण, शोभा गणपती चव्हाण, प्रकाश गणपती चव्हाण, शंकर मोतीराम चव्हाण, निळू मोतीराम चव्हाण, निळू मोतीराम चव्हाण, निळू मोतीराम चव्हाण. राठोड, हरिचंद्री बाळू राठोड, लिंगाजी खब्बू जाधव आणि इतर हक्क स्वामी विवेकानंद मल्टी को ऑफ क्रेडिट सोसायटी लि., विक्रीकर ठकबकी 15
गांव का नाम: दुधनी (ग्रामीण)					
3	130	निजी (प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.84	तुकाराम फत्तू पवार, बसण्णा शरनप्पा कोळी, हिराबाई बसण्णा कोळी, मल्लिनाथ चंद्रमप्पा कंदी, मोदीनसाब सय्यद शेखजी, महमद सय्यद शेखजी, हुसेन सय्यद शेखाजी, विजयकुमार कल्याणप्पा पाटील, संजय बसवराज मंठा, मल्लिनाथ चनमप्पा कंदी, सेंट्रल बँकेचे संजय बसवराज मंठा, मल्लिनाथ चनमप्पा कंदी, आर. दुधनी, बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा दुधनी 130
Total				2.06	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2025

S.O. 1149(E).—Whereas the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 74 Dated:03/01/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 418.8 to Km. 547 (Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Indian Express” both dated 01/02/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 418.8 to Km. 547 (Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akkalkot					
Village: Maindargi (Rural)					
1	353	Private	Agriculture	0.49	Kashibai Nagareddy Deriberi, Indubai Kashinath Jakapure, Nagareddy Ramnna Deriberi, Apak Deriberi Nagaredi Ramanna Khajappa Nagareddy Deriberi, Apak Nagareddy Ramanna Deriberi Yallaling Nagareddy Deriberi 353
Village: Nagore					
2	15	Private	Agriculture	0.73	Nilu Motiram Rathod, Sushila Pandurang Chavan, Shrikant Pandurang Chavan, Vandana Vilas Rathod, Sachin

					Pandurang Chavan, Dhamabai Ganpati Chavan APAK Sunil Ganpati Chavan, Anil Ganpati Chavan, Shobha Ganpati Chavan, Prakash Ganpati Chavan, Shankar Motiram Rathod, Shankar Rekhu Chavan, Nitin Namdev Rathod, Harichandri Balu Rathod, Limbaji Khabbu Jadhav and Other Rights Swami Vivekanand Multi Co Off Credit Society Ltd, Vikrikar Thakbaki 15
Village: Dudhni (Rural)					
3	130	Private	Agriculture	0.84	Tukaram Fattu Pawar, Basanna Sharnappa Koli, Hirabai Basanna Koli, Mallinath Chandramppa Kandi, Modinnsab Sayyad Shaikhji, Mahamad Sayyad Shekhaji, Husen Sayyd Shekhaji, Vijaykumar Kalyannappa Patil, Sanjay Basavraj Mantha, Mallinath Chanmppa Kandi, Sanjay Basavraj Mantha, Other Rights Central Bank of India, Branch Dudhani, Bank Of Maharashtra Branch Dudhani 130
Total				2.06	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director